

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक
कलक्टर, सिणधरी

क्रमांक:- ग्रा. से.शि/2025/ 439

प्रकरण सं.:-
दिनांक:- 31/10/25

आदेश

प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र एवं पटवारी रतनपा भानजी खंखरिया नि. हो की रिपोर्ट तथा तहसीलदार सिणधरी की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम गोदरो का सरा तहसील सिणधरी व जिला बालोतरा की जमाबन्दी संवत् 2076-2079 में खाता संख्या 30 व 34 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	खसरा नम्बर	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
01	गोदरो का सरा	30	163/116 165/116	धनी देवी W/O	धनवन्ती देवी W/O
02	खंखरिया	34	235/166 172 173 215	गोरधराम	गोरधराम

रतन
(समदरसिंह भाटी)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर सिणधरी
दिनांक:- 31/10/25

क्रमांक:- सम./2025/ 440-442
प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार सिणधरी को भेजकर लेख है, कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर धनवन्ती देवी W/O गोरधराम गोदरो का सरा रिपोर्ट उपलब्ध करावें।
2. प्रार्थी धनवन्ती देवी W/O गोरधराम गोदरो का सरा तहसील सिणधरी को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

रतन
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर सिणधरी